झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश

राँची, दिनांक:– 22/8/19

संचिका संख्या–04/आ0–02–1005/2016.......145.........../ श्री अरविन्द कुमार जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता (प्रभारी), पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चक्रधरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता (मुख्यालय) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विरूद्ध कतिपय प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय अधिसूचना संख्या 1305 दिनांक 17.03.2016 एवं 2840 दिनांक 27.06.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. जाँच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री जायसवाल द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा सहित सम्पूर्ण तथ्यों के समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा श्री जायसवाल के विरूद्ध चक्रधरपुर प्रमण्डल में पदस्थापन के दौरान IHHL निर्माण कार्य लक्ष्य के अनुरूप नही होने, वित्तीय वर्ष 2014–15 में लक्षित दो पंचायतो को ODF करने के लक्ष्य में विफल रहने, वित्तीय वर्ष 2015–16 में ODF हेतु पंचायतों की प्रगति असंतोषजनक रहने, चक्रधरपुर प्रमण्डल अन्तर्गत विभिन्न ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के जिम्मे बडी अग्रिम राशि के असमायोजित रह जाने, वरीय अधिकारियों के निदेश की अवहेलना कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना की प्रगति में बाधा उत्पन्न करना, बिना सक्षम स्तर से अवकाश स्वीकृत कराये, स्वेच्छाचारिता से अवकाश में प्रस्थान करने एवं आपदा प्रबंधन के अधीन स्वीकृत कार्य का ससमय टेण्डर निष्पादित नहीं करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

3. उक्त प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा श्री जायसवाल पर नियमानुसार अधिसूचना संख्या 2228 दिनांक 17.05.2017 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही संपन्न की गई :–

(क) श्री जायसवाल, को निलम्बन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नही होगा।

(ग) श्री जायसवाल की 5 (पाँच) वेतन वृद्धि संचयात्मक रूप से अवरूद्ध की जाती है।

(घ) श्री जायसवाल का प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता के पद पर पदस्थापन नही किया जायेगा। उनके मूल पद (सहायक अभियन्ता) के अनुरूप ही उन्हे पदस्थापित किया जायेगा। DDO कार्य से दण्ड अवधि में वंचित रखा जायेगा।

4. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री जायसवाल ने माननीय राज्यपाल के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया। राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 2092 दिनांक 14.07.2017 के द्वारा पुर्नविचार आवेदन समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने की सूचना विभाग को दी गयी, जिसकी सूचना श्री जायसवाल को विभागीय पत्रांक 909 दिनांक 23.02.2018 द्वारा दी गई।

5. तत्पश्चात् श्री जायसवाल द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या 2228 दिनांक 17.05.2017 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायलाय में WP(S) No 1788/2018 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद मे दिनांक 21.01.2019 निम्नांकित को आदेश पारित किया गया है:– "This Court thus, feels that the matter needs to revisional authority. Thus, the order dated 01-02-2018 passed in the revision, is her by set aside and the matter is remitted to the Secretary to consider the revision filed by the petitioner a fresh and pass an appropriate reasoned order after considering all the materials, which have come during departmental proceeding within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order."

6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायदेश के आलोक में श्री जायसवाल द्वारा दिनांक 04.02.2019 को विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। श्री जायसवाल द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में विभिन्न तिथियों को सम्पूर्ण मामले की सुनवाई उपलब्ध साक्ष्यों, अभ्यावेदन में समर्पित तथ्यों के आलोक में की गई जिसमें श्री जायसवाल द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

7. श्री जायसवाल द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर आरोपवार सुनवाई की गई एवं यह पाया गया कि उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही में समर्पित तथ्यों को ही पुनः प्रस्तुत करते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की समीक्षा की गई एवं यह पाया गया कि उनके द्वारा ऐसा कोई नया तथ्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर आरोपों का खण्डन किया जा सके। उक्त परिप्रेक्ष्य में विभाग संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत है। निष्कर्ष में यह पाया गया कि श्री जायसवाल द्वारा सरकारी योजना के संचालन, सम्पादन एवं अनुश्रवण में पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया। उनके द्वारा सरकारी निदेशों की अवहेलना की गयी। श्री जायसवाल द्वारा वित्तीय मामलों में गंभीरता नहीं बरतने के फलस्वरूप ग्राम जल स्वच्छता समिति को अग्रिम के रूप में बड़ी राशि असमायोजित रही। श्री जायसवाल के विरूद्ध बगैर अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय छोड़ने तथा आपदा प्रबंधन अंतर्गत ससमय निविदा नहीं निष्पादित करने संबंधी आरोप प्रमाणित पाये गये। इस प्रकार अधिरोपित आरोपों के विरूद्ध श्री जायसवाल का पक्ष विचारणीय नहीं है।

8. उक्त के आलोक में श्री जायसवाल द्वारा समर्पित पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

21.8.19

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3043 राँची,दिनांक– 24/8/19

प्रतिलिपि– उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, महाधिवक्ता का कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.8.19

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3043 राँची,दिनांक– 24/8/19

प्रतिलिपि– श्री अरविन्द कुमार जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता (प्रभारी), पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चक्रधरपुर सम्प्रति निलंबित, सहायक अभियंता (मुख्यालय) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.8.19

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3043 राँची,दिनांक– 24/8/19

प्रतिलिपि–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT) PMU, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.8.19

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।